न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
अतिक्रमण वाद संख्या–13/2014
भरत प्रसाद सिंह बनाम राम पूकार सिंह

आदेश की क्रम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
06/02/15	**आदेश** अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–6591/2013 भरत प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–15.05.2013 को पारित आदेश के आलोक में दायर की गयी है। उनका यह भी कहना है कि आवेदक द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध भूमि विवाद वाद संख्या–385/12 दाखिल किया जिसमें दिनांक–24.05.2012 को पारित आदेश से अंचल अधिकारी, जाले को वाद में वर्णित अनावाद सर्व साधारण मुख्य ग्रामीण आम रास्ता वाला भूमि से प्रतिपक्षी द्वारा किये गये अतिक्रमण को मुक्त कराने का आदेश पारित किया गया जिस पर अंचल अधिकारी, जाले द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नही की गयी एवं काफी समय बीत जाने के बाद आवेदक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–6591/2013 दाखिल किया गया, जिसमें दिनांक–15.05.2013 को आदेश पारित किया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा अपने आदेश का कार्यान्वयन करावें तथा ऐसा नही कर पर वादी समाहर्त्ता, दरभंगा के समक्ष आवेदन दाखिल कर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा के आदेश के कार्यान्वयन करने का आवेदन दाखिल करें। तदनुसार आवेदक के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा द्वारा दिनांक–24.05.2012 को पारित आदेश का कार्यान्वयन हेतु अनुरोध करते है। आवेदक द्वारा दाखिल वाद आवेदन पर अंचल अधिकारी, जाले से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गयी। अंचल अधिकारी, जाले ने अपने पत्रांक–551 दिनांक–16.09.14 से प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जो अभिलेख पर संधारित है। अंचल अधिकारी, जाले के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दरभंगा के न्यायालय द्वारा भूमि विवाद निराकरण अधिनियम अन्तर्गत वाद संख्या–385/11–12 में पारित आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा आयुक्त न्यायालय, दरभंगा में वाद संख्या–187/2012 राम पुकार सिंह बनाम भरत प्रसाद सिंह दायर की गयी जिस अपील वाद में आयुक्त महोदय, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा अपील के निष्पादन होने तक यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया जाना प्रतिवेदित किया गया है।	

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के न्यायालय में दायर किये जाने उपरांत आयुक्त महोदय, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा वाद के निष्पादन तक यथा स्थिति का बनाये रखने का आदेश पारित रहने एवं अपील वाद विचाराधीन रहने के कारण किसी प्रकार का प्रभावी आदेश पारित करना न्यायोचित प्रतीत नही है।

अतएव आवेदक द्वारा दाखिल वाद खारिज किया जाता है।

6/2/15

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।